न्यायालय उपायुक्त, पाकुड़
Eviction Appeal No.- 01/2018-19

असराफुल मोमिन वगैरह
बनाम
16 आना रैयत मौजा–मनिडांगा

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3
10.02.2021	**आदेश** यह अपील वाद अपीलकर्त्ता असराफुल मोमिन एवं लाला मोमिन, दोनों का पिता–अलाउद्दीन मोमिन एवं अलाउद्दीन मोमिन, पिता–स्व0 घुगल मोमिन, तीनों का सा0–बाबुपुर, थाना–हिरणपुर के द्वारा विज्ञ अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड़ के न्यायालय के आर0ई0आर0 वाद सं0–05/2009–10 में दिनांक 30.08.2016 को पारित आदेश के विरूद्ध दाखिल किया गया है। अपील आवेदन के अनुसार मामला संक्षेप में यह है कि मौजा– मनीडांगा के 16 आना रैयतों के द्वारा निम्न न्यायालय में इस वाद के अपीलार्थियों को मौजा–मनीडांगा के जमाबन्दी नं0 40 के दाग सं0–264 अन्तर्गत 0–3–0 धुर जमीन से उच्छेद करने हेतु यह दावा करते हुए आवेदन दाखिल किया गया कि प्रश्नगत भूमि विगत सर्वे खतियान में सुकुरमुनी डोमिन, पति–स्व0 नन्दु डोमिन तथा दरबारी निर्धा, पिता–मागु निर्धा के नाम से दर्ज है। उक्त दोनों खतियानी रैयतों की मृत्यु काफी समय पूर्व अपने पीछे बिना किसी उत्तराधिकारी को छोड़ हो गई है तथा प्रश्नगत भूमि का उपयोग गांव के रैयतों द्वारा काली स्थान के रूप में किया जाता है तथा प्रत्येक वर्ष देवी काली की पूजा–अर्चना की जाती है। 16 आना रैयतों के द्वारा इस वाद के अपीलार्थियों को बाहरी व्यक्ति बताते हुए उन्हें प्रश्नगत भूमि से उच्छेद करने का अनुरोध किया गया। निम्न न्यायालय द्वारा अंचल अधिकारी, हिरणपुर के जांच प्रतिवेदन के आधार पर दिनांक 30.08.2016 को एकपक्षीय (Ex-parte) आदेश पारित किया गया। यह अपील वाद इसी आदेश के विरूद्ध दाखिल किया गया है। अपीलकर्त्ता के द्वारा दाखिल आवेदन को सुनवाई हेतु अंगीकृत करते हुए विपक्षी 16 आना रैयतों को नोटिस निर्गत किया गया। साथ ही दिनांक 25.07.2018 को पारित आदेश के द्वारा अंचल अधिकारी, हिरणपुर से प्रश्नगत भूमि का स्थलीय जांच कर तथ्यात्मक जांच प्रतिवेदन की मांग की गई। अंचल अधिकारी, हिरणपुर के पत्रांक 464/रा0, दिनांक 18.09.	

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3

2018 के द्वारा जांच प्रतिवेदन प्राप्त है, जो अभिलेखबद्ध है। उत्तरवादी 16 आना रैयतों को नोटिस निर्गत किये जाने के बावजूद दिनांक 04.11.2020 तक न तो वे स्वयं उपस्थित हुए और न ही विज्ञ अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर पैरवी की गई। पुनः 16 आना रैयतों को नोटिस निर्गत किया गया, परन्तु उनकी ओर से इस वाद में कोई उपस्थिति दर्ज नहीं कराई गई। मामला दिनांक 18.04.2018 से विचाराधीन है एवं दो–दो बार नोटिस निर्गत किये जाने के बावजूद 16 आना रैयत इस वाद में पैरवी हेतु उपस्थित नहीं हुए। इससे प्रतीत होता है कि उन्हें इस वाद में कोई अभिरूचि नहीं है। विपक्षी के उपस्थिति के लिए और अधिक समय प्रदान करना उचित नहीं समझते हुए एकतरफा (Ex-parte) सुनवाई की गई।

अपीलकर्त्ता का कहना है कि मौजा–मनीडांगा के जमाबन्दी नं0–40 के दाग सं0–264 अन्तर्गत रकवा 0–3–0 धुर जमीन विगत सर्वे खतियान में सुकुरमुनी डोमीन तथा दरबारी मिर्धा के नाम से दर्ज है। खतियानी रैयत सुकुरमुनी डोमीन की मृत्यु अपने पीछे दो पुत्रियों लक्ष्मी डोमीन तथा सबीजन डोमीन को छोड़कर हो गई। उक्त लक्ष्मी डोमीन एवं सबीजन डोमीन की मृत्यु नावल्द हो गई। फलस्वरूप जमाबन्दी 40 की सम्पूर्ण भूमि खतियानी रैयत दरबारी मिर्धा के जीवित उत्राधिकारियों दुखनी डोमीन एवं धुंधया डोमीन को उत्राधिकार में प्राप्त हुई। उनका आगे कहना है कि दुखनी तुरीन के वंशज कार्तिक तुरी एवं सोनाली तुरीन तथा धुंधया तुरीन के वंशज सुधना तुरी एवं बैरिस्टर तुरी वर्त्तमान में जीवित है तथा क्रमश थाना–पाकुड (मु0) अन्तर्गत ग्राम–शमशेरा में तथा कोटालपोखर थाना अन्तर्गत मौजा–पथरिया में रहते है।

उनका आगे कहना है कि खतियानी रैयत दरबारी मिर्धा के पुत्रियों दुखनी तुरीन तथा धुंधया तुरीन के द्वारा वर्ष 1944 में प्रश्नगत भूमि की कुर्फा बन्दोबस्ती (Kurfa Settlement) अपीलर्त्ता सं0–3 अलाउद्दीन मोमिन के साथ की गई थी। बन्दोबस्ती प्राप्त होने के ठीक बाद बन्दोवस्तधारी द्वारा प्रश्नगत भूमि के एक हिस्से में घर का निर्माण किया गया एवं शान्तिपूर्ण तरीके से वासोवास एवं व्यापार करते हुए भोग–दखल किया जाता रहा। वर्त्तमान में अपीलर्त्ता सं0–1 एवं 2 संयुक्त रूप से प्रश्नगत भूमि का शान्तिपूर्वक भोग दखल कर रहे है।

उनका आगे कहना है कि निम्न न्यायालय में 16 आना रैयतों की तरफ से दाखिल आवेदन में एक भी व्यक्ति का हस्ताक्षर अंकित नहीं है। उक्त आवेदन के आधार पर अंचल

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3

अधिकारी, हिरणपुर के पत्रांक 340/रा0, दिनांक 09.11.2012 से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के आधार पर निम्न न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया गया है जो गलत है। उक्त जांच प्रतिवेदन में जमाबन्दी सं0–40 के अन्तर्गत दाग सं0–4 दर्शाया गया है तथा जमाबन्दी नं0–40 का खतियानी रैयत कौशल्या तुरीन दर्शाया गया है। वस्तुतः जनाबन्दी सं0–40 के अन्तर्गत दाग सं0–4 नहीं आता है, साथ ही खतियानी रैयत कौशल्या तुरीन नहीं अपितु सुकुरमुनी डोमीन तथा दरबारी मिर्धा है। उनका आगे कहना है कि ग्रामीणों का यह दावा भी गलत है कि प्रश्नगत भूमि का उपयोग काली स्थान के रूप में किया जाता है। इस जांच प्रतिवेदन में यह भी अंकित नहीं किया गया है कि खतियानी रैयत के कोई वंशज जीवित है अथवा नहीं।

उनका आगे कहना है कि एक जीतन मडैया द्वारा प्रश्नगत भूमि को हड़पने की नियत से उनके द्वारा 16 आना रैयतों के नाम से झूठा एवं गलत आवेदन दाखिल कराया गया है। उनका आगे कहना है कि इस न्यायालय द्वारा अंचल अधिकारी, हिरणपुर से Fresh जांच प्रतिवेदन की मांग की गई। अंचल अधिकारी, हिरणपुर के पत्रांक 464/रा0, दिनांक 18.09.2018 द्वारा Fresh जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है जो अभिलेख में उपलब्ध है।

उनका आगे कहना है कि Fresh जांच प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत भूमि के वैध उत्तराधिकारी जीवित है। उक्त जांच प्रतिवेदन में यह कहीं अंकित नहीं किया गया है कि प्रश्नगत भूमि का उपयोग काली पूजा स्थान के रूप में किया जाता है।

उनका आगे कहना है कि अपीलार्थी क0–03 को कुर्फा बन्दोबस्ती प्रश्नगत भूमि के वैध उत्तराधिकारियों द्वारा वर्ष 1944 में प्रदान की गई थी तथा तब से आजतक प्रश्नगत भूमि पर घर बनाकर वासोवास कर रहे है तथा व्यवसाय चला रहे है। खतियानी रैयतों के जीवित वैध उत्तराधिकारियों की इसमें कोई आपत्ति नहीं है। उनके द्वारा अपील आवेदन को स्वीकार करते हुए निम्न न्यायालय के आदेश को निरस्त करने का अनुरोध किया गया।

अपीलकर्ता के विज्ञ अधिवक्ता को सुना एवं सम्पूर्ण अभिलेख तथा निम्न न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश पूरी तरह अंचल अधिकारी, हिरणपुर के पत्रांक .340/रा0, दिनांक 09.11.2012 के द्वारा प्राप्त जांच प्रतिवेदन के आधार पर है। Fresh जांच प्रतिवेदन जो पत्रांक .464/रा0, दिनांक 18.09.2018 के द्वारा इस न्यायालय को प्राप्त है के

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3

अवलोकन से स्पष्ट है कि पूर्व में निम्न न्यायालय को प्रेषित जांच प्रतिवेदन त्रुटिपूर्ण है। पूर्व के जांच प्रतिवेदन में खतियानी रैयत का नाम गलत अंकित किया गया है तथा खतियानी रैयत के वैध उत्तराधिकारी जीवित है अथवा नहीं यह स्पष्ट नहीं किया गया है। जबकि Fresh जांच प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि खतियानी रैयत के वैध उत्तराधिकारी जीवित हैं।

अपीलकर्ता के द्वारा कहा गया है कि प्रश्नगत भूमि वर्ष 1944 में खतियानी रैयतों के वैध उत्तराधिकारियों द्वारा अपीलकर्ता सं0–3 को कुर्फा बन्दोबस्ती दी गई थी। परन्तु उक्त कुर्फा बन्दोबस्ती के संदर्भ में कोई साक्ष्य उनके द्वारा दाखिल नहीं किया गया है। जिससे उनके इस दावे को स्वीकार करना काफी कठिन है।

प्रश्नगत भूमि अविक्रयशील है तथा SPT (Supp. Prov.) Act 1949 की धारा 20 के प्रावधानों के तहत ऐसी भूमि का किसी भी रूप में हस्तान्तरण नहीं किया जा सकता है। अपीलकर्ता यह सिद्ध नहीं कर सके है कि (Supp. Prov.) Act 1949 के लागू होने के पूर्व अर्थात वर्ष 1944 से ही प्रश्नगत भूमि पर दखल कब्जा है। स्पष्टतः प्रश्नगत भूमि पर वे Unauthorised occupants हैं। अतः SPT (Supp. Prov.) Act 1949 की धारा 42 इस मामले में आकर्षित होती है।

उपर्युक्त विवेचना के आधार पर अपील आवेदन को अस्वीकृत करते हुए निम्न न्यायालय के आदेश को संशोधित करते हुए अपीलकर्त्तागण को प्रश्नगत भूमि मौजा–मनीडांगा नं0–94 के जमाबन्दी नं0–40 के दाग सं0–264 अर्न्तगत रकवा 0–3–0 धुर भूमि से (Supp. Prov.) Act 1949 की धारा 42 के तहत उच्छेद किया जाता है।

उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता को आदेश का अवलोकन करा दें।

लेखापित एवं संशोधित।

10.2.2021

उपायुक्त,
पाकुड़।

10.2.2021

उपायुक्त,
पाकुड़।

34/DR
15.07
LCR

Digitally signed by VARUN RANJAN
Date: 2022.10.13 13:55:17 +05:30
Location: 192.168.1.101